

FROM No.III

सहायक कलेक्टर (SDO) फर्द अहकाम (नियम 26)

बायतु

अज अदालत..... मुकाम.....

चम्पा देवी बनाम सोनी देवी वर्गरा

किस्म मुकदमा नं० वा 88,40,91,188 R.A.C.T. 154/18 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/10/18	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>किशनाराम</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>88,40,91,188 R.A.C.T.</u></p> <p>राजस्थान कोषाधिकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रिस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>30/01/19</u> को पेश हो।</p>	
30/01/19	<p>वादीनी देवी वर्गरा उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्पन तामिल अपूर सम्पन अपूर उपस्थित। वरुडा उरल जिसे शामिल पत्रावली प्रीति उरल। प्रतिवादी संख्या-2 श्री अरु से वकील श्री कुम्भारसिंह चौधरी द्वारा अउर टैकिंग ली गई, सीमान पीठामिन अधिकारी वाड डेटपट डीगट डामों के वास्ते होने से मिवाल ईल्लवा डीउर अगामी दिनांक 20/02/19 को पेश हो।</p>	<p>Anelentekip B.Y. उ. वा. स. 2 30/1/19</p>
20/02/19	<p>वरुलाप करीडेन उपस्थित। सीमान पीठामिन अधिकारी अफडामु के पधारे उर डी डल: मिवाल ईल्लवा डीउर अगामी दिनांक 19/03/19 को पेश हो।</p>	

19/03/19

वादीनी स्वयं व वादीनी कहील उपस्थित।
 वादीनी के अधिकारों द्वारा उद्योग-पत्र वाले
 विद्वाने करने का उद्देश्य है वादीनी व वादीनी
 के अधिकारों द्वारा निवेदन किया गया है
 उक्त का में मुझ वादीनी एवं समस्त प्रति-
 वादीगणों के मध्य जांच के सुविधान लोगो
 एवं हमारे वृत्त चिंतने ने प्राप्त में समझा
 हुआ है वाजी वाजी कर दिया है। अब हम
 पक्षकारों के बीच में इस का के सम्बन्ध में
 कोई वाद विवाद नहीं है तथा उक्त का के आगे
 चलने से हम पक्षकारों के सम्बन्ध और भी धरात
 हो रहे है। इसलिए वादीनी इस का के अविषय
 में कापिल जाने का अधिकार सुरक्षित रखते है
 इस का के जरिये विद्वाने द्वारा करवाया जाये
 है। अतः वादीनी व वादीनी के अधिकारों के निवेदन
 पर जरिये विद्वाने वादीनी का काद धाराज किया
 जाया है। पत्रावली में मल कुमार है, दर्ज नम्बर
 से हम हो, दाखिल करते है।

अध्यापक
 वादीनी
 31. 3
 चम्पा देवी